

उपाबंध 1 ✓

[नियम 6(ज्ञ) देखें]

प्ररूप—क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11(1) (क) देखें]

1. दावेदार (रो) का / के नाम:
2. पति / पत्नी का नाम:
3. पिता / माता का नाम:
4. पता:
5. ग्राम:
6. ग्राम पंचायत:
7. तहसील / तालुका
8. जिला:
9. (क) अनुसूचित जनजाति: हां / नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी: हां / नहीं
(यदि पति / पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं प्रमाण पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का रूपरूप:

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार:
(क) निवास के लिए
(ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो:
[अधिनियम की धारा 3(1) (क) देखें]
3. पट्टे / पट्टे / अनुदान, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें]
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3(1) (ड.) देखें]
5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए हैं:
[अधिनियम की धारा 4(8) देखें]
6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो:
[अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें]
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो:
[अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें]
8. समर्थन में साक्ष्य:
(नियम 13 देखें)
9. अन्य कोई सूचना:

दावेदार (रो) का / के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

प्रस्तुति ✓

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

{नियम 11(1) (क) और (4) देखें }

1. दावेदार (रों) का/के नामः
क. एफडीएसटी समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूपः—

1. सामुदायिक अधिकार जैसे अधिकारों का स्वरूपः
{अधिनियम की धारा 3(1) (ख) देखें }
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
{अधिनियम की धारा 3(1) (ग) देखें }
3. सामुदायिक अधिकार
क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) यदि कोई हों :
ख. चरने हेतु, यदि कोई हों :
ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,
{अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें }
4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :
{अधिनियम की धारा 3(1) (ड.) देखें }
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो :
{अधिनियम की धारा 3(1) (ट) देखें }
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
{अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें }
7. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) का/के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान